न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/10/2015

उनवान

1. रघुराम सिंह आत्मज स्व0 शिवसिंह राणावत, निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. शक्तिसिंह आत्मज संग्राम सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसल व जिला भीलवाडा हाल निवासी कारोई की हवेली, चांदपोल बाहर, हनुमान घाट, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर
2. सुदर्शन सिंह आत्मज संग्राम सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसल व जिला भीलवाडा हाल निवासी कारोई की हवेली, चांदपोल बाहर, हनुमान घाट, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर
3. नटराज सिंह आत्मज संग्राम सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसल व जिला भीलवाडा हाल निवासी कारोई की हवेली, चांदपोल बाहर, हनुमान घाट, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर
4. भूपेन्द्र सिंह आत्मज नारायण सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा
5. नरेश्वर सिंह आत्मज नारायण सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा
6. नरेन्द्र सिंह आत्मज नारायण सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा
7. मु0 सज्जन कंवर पत्नी नारायण सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा
9. उपपंजीयक , भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), भीलवाडा के प्रकरण संख्या 36 / 74 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.12.2014

अधिवक्तागण :–

1.श्री विकास जायसवाल ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 3.01.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7/ प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 11, 12, 511 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने एक वाद एवं प्रार्थना पत्र न्यायालय में वादग्रस्त आराजियात की घोषणात्मक एवं इन्द्राज दुरूस्ती का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने वाद के पेर संख्या 1 के द्वितीय पृष्ठ में दिनांक 14.10.1969 को वादग्रस्त आराजियात उसके पिताजी शिवसिंह एवं धर्मपत्नी श्रीमति फतेहकंवर के नाम पर दर्ज करते हुए पानडी दिलाने का निवेदन करना बताया है। वादी ने इस दरख्वास्त पर क्या फैसला हुआ के तथ्य को छिपाया है। वह दरख्वास्त न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। इस तथ्य को छिपाते हुए गलत बयानी कर वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश करना पोषणीय नहीं होने से

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

काबिल खारिजी है। इसी विवादित आराजियात बाबत एक वाद सहायक कलक्टर, मुख्यालय भीलवाडा में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की माता हेमकंवर द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जो दिनांक 21.11.2001 प्रकरण संख्या 05/2001 राजस्व वाद निर्णित हो न्ययालय द्वारा डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी/प्रार्थी रघुराम सिंह ने आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2012 दिनांक 17.4.2012 को खारिज कर दिया गया । जिसके विरूद्ध वादी रघुराम सिह ने न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा (न्यायालय हाजा) में प्रस्तुत की । वह अपील भी वादी रघुराम सिंह की प्रकरण संख्या 41/2013 दिनांक 29.4.2013 को खारिज कर दी गई तथा वादी रघुराम सिंह ने इसके पश्चात मूल निर्णय एवं डिक्री 05/2001 दिनांक 21.11.2001 के विरूद्ध अपील दायर की वह भी भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा (न्यायालय हाजा) द्वारा प्रकरण संख्या 93/2013 दिनांक 11.7.2013 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात के बाबत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा (न्यायालय हाजा) द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री नातिक हो चुकी है। उक्त निर्णय की नकलें प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार वादी ने अपनी माता फतेहकंवर द्वारा वादी के बडे भाई संग्राम सिंह की पत्नी श्रीमती हेमकंवर द्वारा वादग्रस्त आराजियात के बाबत खातेदारी हक की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया । जिसमें स्वयं रघुराम वादी भी बतौर पक्षकार मुकदमा को उन्होनें वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजियात श्रीमती हेमकंवर के नाम दर्ज करने हेतु अपना

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

शपथ पत्र केम्प कोर्ट कारोई में उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा में पेश किया था। । उक्त तथ्य को छिपाते हुए मौजूदा वाद पूर्व में हुई कार्यवाही को न्यायालय में न बता गलत बयानी कर यह वाद पेश किया है। जो धारा 11 जाब्ता दीवानी के तहत पोषणीय न हो काबिल खारिज है। सी पी सी धारा 11 के तहत पूर्ववर्ती वाद संखय 5/2001 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2001 में इसी वादग्रस्त आराजियात, समान इश्यू एवं समान पक्षकारान के मध्य वाद निर्णित हो चुका है । इस प्रकार अब प्रत्यक्षतः और सारथ इसी विववाद्यक एवं समान आराजियात के व पक्षकारान के मध्य वादी द्वारा यह वाद पेश करना धारा 11 जाब्ता दीवानी के तहत वर्जित है। इसी प्रकार वादी ने अपने पूरे वाद में वाद हेतुक कहीं भी प्रकट नहीं किया है। जिस आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11(क) के तहत वाद हेतुक प्रकट न करने के कारण वादी का वाद इसी प्रारंभिक स्टेज पोषणीय न हो काबिल खारिजी है। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है। जबकि घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है। जबकि घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है इस आधार पर वादी का यह वाद प्रथमदृष्टया पोषणीय न हो, काबिल खारिजी है।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण कर प्रकरण को आदेश 7 नियम 11 (ए) के अन्तर्गत वाद को खारिज योग्य पाया तथा साथ ही धारा 11 सी पी सी के प्राावधानों के अन्तर्गत समान पक्षकारों के मध्य समान विवाद्यको पर वाद चलने योग्य नही होने से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दीवानी स्वीकार कर वाद पत्र को खारिज कर निर्णय व डिक्री पारित की । जिससे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 5.12.2014 को निर्णय पारित किया गया है। जिस पर अपीलार्थी ने नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2014 को प्रस्तुत किया व नकल दिनांक 31.12.2014 को जारी की गई। नकल प्राप्त होने पर अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करने एवं नकल प्राप्त होने तक की अवधि को न्यायहित में क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम कारोई में आराजी नम्बर 2400 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा , आराजी नम्बर 2401 रकबा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 2404 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 2403 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 5120/2390 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 5121/2397 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 5122/2397 रकबा 5 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। जो काफी पुराने अर्से से वादी/अपीलार्थी के पिता शिवसिंह जी की मालिकाना था। जो ठिकाना कारोई से वादी/अपीलार्थी के पिता को उक्त आराजी बतौर पट्टा प्राप्त हुई। उक्त आराजी पर वादी/अपीलार्थी के पिता को पट्टे से प्राप्त होने के समय

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

से ही बतौर मालिक काबिज थे। इसी दरमियान उक्त आराजी बिलानाम दर्ज हो गई । जिस पर भू प्रबन्ध विभाग राजस्थान के समक्ष अर्थात सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष 14.11.1969 को मिसल दर्ज हुई। जिसके क्रमांक 212/70 दर्ज हुई । जो तात्कालीन आराजी नम्बर 2332 व आराजी नम्बर 2329/2 जिसके हाल आराजी नम्बर 2400, 2401, 2404, 2403, 5120/2390, 5121/2397 हैं। जिसके मिल संख्या 212/70 थे । इस प्रकार उक्त वर्तमान आराजी नम्बर 2400, 2401, 2404, 2403, 5120/2390, 5121/2397 हैं जो कि गत आराजी नम्बर 2332, 2329/2 के नये नम्बर है। आराजी संख्या 2332, व 2329/2 वादी अपीलार्थी के पिता की स्वअर्जित सम्पति थी। जो ठिकाने से प्राप्त हुई थी। उक्त मिसल 212/70 के विचारण रहने के दौरान दिनिांक 14.10.69 को वादी/अपीलार्थी/प्रार्थी के पिता ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के समक्ष इस आराजी के संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त जायदाद को वादी/अपीलार्थी की माता एवं स्व0 शिवसिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती जोधपुरी जी एवं वादी/अपीलार्थी रघुराम सिंह को देना जाहिर किया । इस प्रकार 14.10.69 के प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण सख्या 212/70 जो कि वाद प्रकरण संख्या 85/72 के रूप में दर्ज हुआ, मे उक्त वर्णित कृषि आराजी संख्या 2400, 2401, 2404, 2403, 5120/2390, 5121/2397 हैं जो कि गत आराजी नम्बर 2332 व 2329/2 से बनी को 14.10.69 के प्रार्थना पत्र जो कि एक सहमति पत्र था, के आधार पर वादी/अपीलार्थी की माता श्रीमती जोधपुरी जी (फतेहकंवर) एवं वादी/अपीलार्थी रघुराम सिंह के नाम आधी आधी अर्था 1/2, 1/2 दर्ज होनी चाहिये थी। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग के जमाबंदी संवत 2026 के पृष्ठांकन में जो इस प्रकार है कि " नोट ज.म.नं.

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू--प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

584/74 दिनांक 17.6.75 आदेश श्रीमान् ए0एस0ओ0 साहब, भीलवाडा के अनुसार आराजी नम्बर 2390 से 12 बीघा 13 बिस्वा, 2397 से 6 बीघा 4 बिस्वाव व आराजी नम्बर 2400, 2401, 2403, 2404 सिवाय चक से खारिज कर फतेहकंवर बेवा शिव सिंह राजपूत का नाम दर्ज किया गया।''

6. उक्त प्रविष्ठ में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 14.10.69 के प्रार्थना पत्र की पालना में श्रीमती जोधपुरी जी (फतेहकंवर) बेवा शिवसिंह जी राजपूत का नाम दर्ज हो गया परन्तु सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष 14.10.69 को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । उसकी पालना करने में लिपिकीय त्रुटी हुई क्योंकि 14.10.69 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उसका वर्णन इस प्रकार है कि '' श्रीमान् सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जी साहब, भीलवाडा सेवामें, निवेदन है कि मुझे ठिकाना कारोहि से जब जागीरदार साहब कारोही जी अख्तियार थे 30 बीघा जमीन का पट्टा करके आराजी नम्बर 2332 2329/2 2001 में दीतभी से मेरा उस जमीन पर मेरा कब्जा है। उस जमीन में से कुछ हिस्सा मेरे धर्मपत्नी श्री जोधपुरी जी को व कुछ हिस्सा मेरे लडके रघुराम सिंह को दे दिया है अभी मालूम हुआ के वो जमीन ठीकाने कारोही के चार्ज जमा बंदी में न देने से मेरे नाम पर नहीं हुई जमीन क इन्द्राज मेरे नाम पर नहीं हुआ है सो अब अजरूम पट्टा जीन मेरे नाम पर दर्ज पत्नी व लडके के नाम पर दरज करा पानडी दिलवायी जावे, तारीख 14.10.69 रा. शिवसिंह कारोही'' इसमें स्व0 शिव सिंह जी अपनी धर्म पत्नी श्रीमती जोधपुरी जी के साथ–साथ उक्त जायदाद का हिस्ससा वादी/अपीलार्थी श्री रघुराम सिंह को भी देना कथन किया है। जबकि संवत 2026 की जमाबंदी में फतेहकंवर बेवा शिव सिंह जी राजपूत का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये व 1/2 हिस्सा वादी/अपीलार्थी रघुराम सिंह

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आत्मज श्री शिवसिंह राजपूत का नाम दर्ज होना चाहिये था। परन्तु केवल मात्र उक्त आराजी का पूरा खाता फतेह कंवर बेवा शिव सिंह राजपूत के नाम दर्ज कर दिया गया । जबकि 1/2 हक हिस्सा/वादी/अपीलार्थी प्रार्थी रघुराम सिंह का है और राजस्व अभिलेख संवत 2026 में भी फतेह कंवर बेवा शिव सिंह राजपूत 1/2 व रघुराम सिंह पिता शिवसिंह राजपूत 1/2 दर्ज किया जाना चाहिये था। परन्तु तात्कालीन प्रविष्ठि में केवलमात्र फतेह कंवर बेवा शिव सिहि राजूत का नाम भी 14.10.69 के प्रार्थना पत्र के कारण सहमति पत्र के रूप में दर्ज हुआ । परन्तु उक्त सहमति श्रीमती जोधपुरी जी (फतेहकंवर) के साथ वादी/अपीलार्थी रघुराम सिंह पिता शिव सिंह के पक्ष में थी परन्तु केवल मात्र फतेहकंवर बेवा शिव सिंह का नाम दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाकर फतेहकंवर बेवा शिव सिह राजपूत 1/2 व रघुराम सिंह आत्मज शिवसिंह राजपूत 1/2 दर्ज किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। जिससे यह वाद पत्र वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । जिससे संवत 2026 की जमाबंदी से एवं आगे की जमाबंदी में भी एवं वर्तमान जमाबंदी में भी एवं अभिलेख में आराजी संख्या 2400, 2401, 2404, 2403, 5120/2390, 5121/2397 के खाते में बतौरखातेदार 1/2 रघुराम सिंह आत्मज शिवसिंह राजपूत एवं शेष 1/2 हिस्सा जो कि श्रीमती जोधपुरी (फतेहकंवर) बेवा शिव सिंह राजपूत के नाम पर होना चाहिये किन्तु श्रीमती जोधपुरी जी (फतेहकंवर) बेवा शिव सिंह राजपूत का देहान्त हो चुका है। इसलिए शेष 1/2 हक हिस्से में स्वयं फतेहकंवर के विधिक वारिसान का बराबर हक हिस्सा है और चूंकि श्रीमती फतेह कंवर के तीन विधिक वारिस है। उनके 1/2 हक हिस्से का बराबर 1/3, 1/3 हक हिस्से का विभाजन होना चाहिये एवं वर्तमान

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू--प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अभिलेख में भी इसी अनुसार नाम दर्ज होना चाहिये। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जो कि पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्र से बिलकुल भिन्न आधार है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया वाद पत्र बिल्कुल भिन्न आधारों पर प्रस्तुत किया गया था। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में विवाद्यक तय नहीं हुए , वह वाद एकतरफा निर्णित हुआ था। इस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने घोर नहीं फरमा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पूर्व में प्रस्तुत वाद से भिन्न विवाद बिन्दुओं पर प्रस्तुत हुआ था। जिस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.12.2014 बो अपास्त किया जाकर वादीद्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने का आदेश पारित किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने न्यायिक उद्धरण आर एल डब्ल्यू 2019 (2) पेज 945 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

8. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 11, 12, एवं 151 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने न्यायिक

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

उद्धरण डी एन जे 2014 (एस सी) पेज संख्या 317 की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने मूल वाद का कारण स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के साथ ही धारा 11 सी पी सी के प्रावधानों के अन्तर्गत समान पक्षकार के मध्य समान वाद विषयवस्तु, का वाद चलने योग्य नहीं है। अपीलाधीन प्रकरण में वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, मुख्यालय भीलवाडा से वर्ष 2001 में निर्णित हुआ है, जिसे निरस्त कराने के लिए वादी ने आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा दिनांक 17.4.2012 को खारिज किया गया । वादग्रस्त आराजियात के संबंध में पूर्व के मूल वाद की अपील भी वादी ने की जो न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा (न्यायालय हाजा) द्वारा प्रकरण संख्या आर टी ए/93/2013 निर्णय दिनांक 111.7. 2013 से खारिज कर दी गई तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय दिनांक 11.7.2013 के विरूद्ध भी वादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील प्रस्तुत की

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

है । जिसके प्रकरण संख्या डिक्री/टीए/4828/2013 प्रस्तुत की गई।

11. अपीलार्थी का कथन है कि मूल वाद में तनकियात कायम नहीं की गई तथा नये तथ्यों के प्रकाश में आने से वाद कारण उत्पन्न हुआ था। इनमें मुख्यतः वसीयत तथा बैंक पासबुक पर हस्ताक्षर मेल न खाने के प्रकरण के तौर पर एफ एस एल रिपोर्ट का हवाला दिया गया जो सिविल न्यायालय के आदेश से तैयार की गई थी। अपीलाधीन प्रकरण में पूर्व वाद में पक्षकार समान होने एवं वाद की विषयवस्तु समान होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 (ए) नियम 11 धारा 11 सी पी सी के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रकरण का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

12. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.12.2014 को यथावत रखा जाता है। डिक्री पर्चा मूर्तिब की जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 3.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री के सी लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/10/2015

उनवान

1. रघुराम सिंह आत्मज स्व0 शिवसिंह राणावत, निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. शक्तिसिंह आत्मज संग्राम सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसल व जिला भीलवाडा हाल निवासी कारोई की हवेली, चांदपोल बाहर, हनुमान घाट, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर
2. सुदर्शन सिंह आत्मज संग्राम सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसल व ज़िला भीलवाडा हाल निवासी कारोई की हवेली, चांदपोल बाहर, हनुमान घाट, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर
3. नटराज सिंह आत्मज संग्राम सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसल व जिला भीलवाडा हाल निवासी कारोई की हवेली, चांदपोल बाहर, हनुमान घाट, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर
4. भूपेन्द्र सिंह आत्मज नारायण सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा
5. नरेश्वर सिंह आत्मज नारायण सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा
6. नरेन्द्र सिंह आत्मज नारायण सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा
7. मु0 सज्जन कंवर पत्नी नारायण सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा
9. उपपंजीयक , भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), भीलवाडा के प्रकरण संख्या 36/74 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.12.2014

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/10/2015 मे सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), भीलवाडा के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः–

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

यह अपील तारीख 3.01.2020 को अपीलाण्ट की ओर से श्री विकास जायसवाल वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री अमित कोठारी एवं राजकीय अभिभक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति में दिनांक 3.01.2020 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि:-

अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.6.2018 को यथावत रखा जाता है ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 3.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★